

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)/द्वितीय एसीपी 92 (रिजर्व)/अलेसे-III/8876-36 दिनांक 29.9.2013

आदेश संख्या.....216/2013-14

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7) वित्त(नियम/2008/ दिनांक 12.9.2008 एवं आदेश संख्या एफ.11(7) वित्त (नियम) पार्ट-I/ 2008 दिनांक 6.10.2008 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) पे-बेण्ड 2(9300-34800) ग्रेड पे 4200/- एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 14(88)वित्त (नियम) 2008 दिनांक 5 जुलाई, 2013 के अनुसरण में दिनांक 1.7.2013 से ग्रेड पे 4800/- में स्वीकृत की जाती हैं।

क्र.स.	नाम कनिष्ठ लेखाकार / लेखाकार सर्व श्री	मेरिट संख्या/ बैंच संख्या	क.लेखाकार पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	5
01.	विनोद कुमार गुप्ता	484 / 90	03.01.1994	03.01.2012	
02.	दिलीप सिंह	487 / 90	03.01.1994	03.01.2012	
03.	अनिल वर्मा	517 / 90	03.01.1994	03.01.2012	
04.	शैलेश जैन	DGS / 90	25.07.1994	25.07.2012	
05.	राजीव कुमार शर्मा	DGS/90	07.12.1994	07.12.2012	
06.	रोहिताश्व कुमार	48 / स्पे.92	23.01.1995	23.01.2013	
07.	नेमीचन्द हरिजन	57 / स्पे. 92	23.01.1995	23.01.2013	
08.	उरजाराम	68 / स्पे. 92	23.01.1995	23.01.2013	
09.	सन्त प्रकाश सांखला	77 / स्पे.92	23.01.1995	23.01.2013	
10.	मोहन लाल बैरवा	83 / स्पे. 92	22.04.1995	22.04.2013	
11.	रतनलाल	92 / स्पे.92	23.01.1995	23.01.2013	
12.	सुभाष चन्द्र मोहनपुरिया	93 / स्पे.92	23.01.1995	23.01.2013	
13.	रामेश्वर लाल जनागल	115 / स्पे.92	23.01.1995	23.01.2013	
14.	सैयद अतहर अब्बास काजमी	11 / 92	15.03.1995	15.03.2013	
15.	कैलाश कुमार	42 / 92	06.03.1995	06.03.2013	
16.	हरमुख सिंह	122 / 92	26.04.1995	26.04.2013	
17.	प्रताप सिंह सांचोरा	160 / 92	14.03.1995	14.03.2013	
18.	ओमप्रकाश शर्मा	215 / 92	08.03.1995	08.03.2013	
19.	प्रभाती लाल	232 / 92	23.03.1995	23.03.2013	
20.	कमालुद्दीन खान	332 / 92	27.05.1995	27.05.2013	
21.	अनिल कुमार शर्मा	337 / 92	10.03.1995 A.N.	11.03.2013	
22.	हंसराज आसीवाल	399 / 92	01.03.1995	01.03.2013	
23.	घांसी लाल बैरवा	434 / 92	22.04.1995	22.04.2013	
24.	इन्दरमल डाबी	489 / 92	26.05.1995	26.05.2013	
25.	समीर सक्सेना	DGS 92	15.07.1995	15.07.2013	
26.	रमेश कुमार वाधवानी	आर-57 / 92	21.06.1995	21.06.2013	
27.	खेमचन्द सिन्धी	आर-125 / 92	29.06.1995	29.06.2013	
28.	मोहन लाल कोली	आर- 134 / 92	01.07.1995	01.07.2013	
29.	रामस्वरूप वर्मा	आर- 140 / 92	07.07.1995	07.07.2013	
30.	मोहन लाल असवाल	आर- 144 / 92	07.07.1995	07.07.2013	
31.	मघाराम	आर- 162 / 92	30.06.1995	30.06.2013	
32.	बनवारी लाल चौहान	आर-166 / 92	13.07.1995	13.07.2013	

उक्त कनिष्ठ लेखाकारों को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प014 (88) वित्त/ नियम/2008 दिनांक 31.12.2009 में दी गई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा संतान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति(एसीपी) स्वीकृत की जाती हैं।

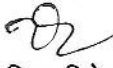
क्रम संख्या 4, 10, 14 से 18, 19, 21 से 24, 26 एवं 32 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर गत 9 वर्षों में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.9.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा हैं। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवापुस्तिका में की जावे।


निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)द्वितीय एसीपी 92 (रिजर्व)/अलेसे-III/8876-36 दिनांक9.9.2013
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष.....
2. श्री.....कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय.....
3. निजी सहायक, निदेशक महोदया
4. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I) (गोपनीय शाखा) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कनिष्ठ लेखाकार के भविष्य में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
5. अतिरिक्त निदेशक(एसीपी) / निजी/गार्ड फाईल ।


अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-III)